उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग–9

अधिसूचना

13 फरवरी, 2006 ई0

संख्या 62/XXVII(9)/(06/स्टाम्प–विधि/05)/2006–चूँकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, अतः भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय अधिसूचना संख्या 28/वि0अनु0/स्टाम्प/2001, दिनांक 10–10–2001 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना में निहित उद्देश्य के लिये 30–12–2006 की तारीख तक रुपये 3,00,000.00 (रुपये तीन लाख मात्र) तक के ऋण पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 04–03–2006, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित–—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 वित्त/140–09–03–2006–200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।